वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 40

राज्यों को अंतरण

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	116707.57	12498.20	129205.77	125896.36	12600.00	138496.36	128515.56	17900.00	146415.56	138601.38	18600.00	157201.38
वसूलियां	*-8713.78*	...	*-8713.78*	*-6450.00*	...	*-6450.00*	*-6450.00*	...	*-6450.00*	*-10000.00*	...	*-10000.00*
प्राप्तियां	*-5690.00*	...	*-5690.00*	*-6450.00*	*-100.00*	*-6550.00*	*-6450.00*	*-100.00*	*-6550.00*	*-10000.00*	*-100.00*	*-10100.00*
निवल	**102303.79**	**12498.20**	**114801.99**	**112996.36**	**12500.00**	**125496.36**	**115615.56**	**17800.00**	**133415.56**	**118601.38**	**18500.00**	**137101.38**
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है												
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
वित्त आयोग अनुदान												
संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत अनुदान												
1. हस्तांतरण-पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान	48905.00	...	48905.00	41308.00	...	41308.00	41308.00	...	41308.00	35820.00	...	35820.00
2. राज्य आपदा मोचन कोष के लिए सहायता अनुदान	8756.01	...	8756.01	10470.00	...	10470.00	8938.20	...	8938.20	10993.00	...	10993.00
3. स्थानीय निकायों के लिए अनुदान												
3.01 ग्रामीण निकाय	19993.43	...	19993.43	33870.52	...	33870.52	33870.52	...	33870.52	39040.96	...	39040.96
3.02 शहरी निकाय	6924.35	...	6924.35	14997.84	...	14997.84	14997.84	...	14997.84	17247.42	...	17247.42
जोड़- स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	*26917.78*	...	*26917.78*	*48868.36*	...	*48868.36*	*48868.36*	...	*48868.36*	*56288.38*	...	*56288.38*
जोड़-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत अनुदान	**84578.79**	**...**	**84578.79**	**100646.36**	**...**	**100646.36**	**99114.56**	**...**	**99114.56**	**103101.38**	**...**	**103101.38**
जोड़-वित्त आयोग अनुदान	**84578.79**	**...**	**84578.79**	**100646.36**	**...**	**100646.36**	**99114.56**	**...**	**99114.56**	**103101.38**	**...**	**103101.38**
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
4. विशेष सहायता	10890.00	...	10890.00	9000.00	...	9000.00	11000.00	...	11000.00	11000.00	...	11000.00
5. संविधान की छठी अनुसूची में सम्मिलित स्वायत्त परिषदों, क्षेत्रों को अनुदान	...	...	...	1000.00	...	1000.00	1.00	...	1.00	500.00	...	500.00
6. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुदान)	2771.82	...	2771.82	2350.00	...	2350.00	3500.00	...	3500.00	4000.00	...	4000.00
7. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (बड़े ऋण)	...	12498.20	12498.20	...	12500.00	12500.00	...	17800.00	17800.00	...	18500.00	18500.00
8. राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष को अंतरण												
8.01 राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष को अंतरण	5690.00	...	5690.00	6450.00	...	6450.00	6450.00	...	6450.00	10000.00	...	10000.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8.02 घटाएं राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (सीमा-शुल्क)	-1640.00	...	-1640.00	-1550.00	...	-1550.00	-1550.00	...	-1550.00	-2500.00	...	-2500.00
8.03 घटाएं राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)	-4050.00	...	-4050.00	-4900.00	...	-4900.00	-4900.00	...	-4900.00	-7500.00	...	-7500.00
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से राज्यों को सहायता												
9.01 राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से राज्यों को सहायता	12451.96	...	12451.96	6450.00	...	6450.00	8450.00	...	8450.00	10000.00	...	10000.00
9.02 घटाएं राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से अंतरण से पूरी की गई राशि	-8713.78	...	-8713.78	-6450.00	...	-6450.00	-6450.00	...	-6450.00	-10000.00	...	-10000.00
निवल	*3738.18*	...	*3738.18*	...	...	...	*2000.00*	...	*2000.00*	...	...	...
10. अर्थोपाय अग्रिम	...	...	...	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00
	...	...	...	...	-100.00	-100.00	...	-100.00	-100.00	...	-100.00	-100.00
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को केन्द्रीय करों और और शुल्कों में हिस्से के बदले में अनुदान	325.00	...	325.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	**17725.00**	**12498.20**	**30223.20**	**12350.00**	**12500.00**	**24850.00**	**16501.00**	**17800.00**	**34301.00**	**15500.00**	**18500.00**	**34000.00**
कुल जोड़	***102303.79***	***12498.20***	***114801.99***	***112996.36***	***12500.00***	***125496.36***	***115615.56***	***17800.00***	***133415.56***	***118601.38***	***18500.00***	***137101.38***
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. प्राकृतिक आपदा राहत	3738.18	...	3738.18	...	...	...	2000.00	...	2000.00	...	...	...
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**3738.18**	**...**	**3738.18**	**...**	**...**	**...**	**2000.00**	**...**	**2000.00**	**...**	**...**	**...**
अन्य												
2. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	98240.61	...	98240.61	112996.36	...	112996.36	113615.56	...	113615.56	118601.38	...	118601.38
3. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	325.00	...	325.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4. राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	...	12498.20	12498.20	...	12500.00	12500.00	...	17800.00	17800.00	...	18500.00	18500.00
जोड़-अन्य	**98565.61**	**12498.20**	**111063.81**	**112996.36**	**12500.00**	**125496.36**	**113615.56**	**17800.00**	**131415.56**	**118601.38**	**18500.00**	**137101.38**
कुल जोड़	**102303.79**	**12498.20**	**114801.99**	**112996.36**	**12500.00**	**125496.36**	**115615.56**	**17800.00**	**133415.56**	**118601.38**	**18500.00**	**137101.38**

1. **हस्तांतरण-पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान:** चौदहवें वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों में प्रत्येक राज्य का हिस्सा निर्धारित किया है और केन्द्र सरकार के अनुमानित कर राजस्व के आधार पर प्रत्येक राज्य के हिस्से का अनुमान लगाया है। हस्तांतरण-पूर्व अनुमानित राजस्व घाटे और केन्द्रीय करों में प्रत्येक राज्य के हिस्से के आधार पर चौदहवें वित्त आयोग ने 11 राज्यों के हस्तांतरण-पश्चात् राजस्व घाटे का अनुमान लगाया है और अपनी अधिनिर्णय अवधि 2015-20 के लिए उन 11 राज्यों के राजस्व घाटे के लिए अनुदानों की सिफारिश की है।

2. **राज्य आपदा मोचन कोष के लिए सहायता अनुदान:** चौदहवें वित्त आयोग ने 2015-20 की अधिनिर्णय अवधि के लिए सभी राज्यों के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के संवर्धन के लिए अनुदानों की सिफारिश की है। राहत व्यय का प्रथम दायित्व राज्य आपदा मोचन कोष पर है। राज्य आपदा मोचन कोष आपदा राहत और कार्रवाई हेतु धन मुहैया कराने के लिए राज्यों के पास उपलब्ध प्राथमिक कोष है।

3. **स्थानीय निकायों के लिए अनुदान:** चौदहवें वित्त आयोग ने 2015-20 की अपनी अधिनिर्णय अवधि के लिए स्थानीय निकायों (ग्रामीण और शहरी) के लिए मूल और निष्पादन अनुदानों की सिफारिश की है।

3.02. **शहरी निकाय:** स्थानीय निकायों के लिए अपनी अधिनिर्णय अवधि 2015-20 के लिए (ग्रामीण और शहरी) एफएफएसी ने बुनियादी और निष्पादन अनुदानों की सिफारिश की है।

4. **विशेष सहायता:** यह प्रावधान (क) बकाया प्रतिबद्ध देयताओं जिनके लिए चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद बजट प्रावधान नहीं किया जाता है और (ख) राज्यों को आवश्यकता-आधारित सहायता के लिए निर्धारित किया गया है।

5. **संविधान की छठी अनुसूची में सम्मिलित स्वायत्त परिषदों, क्षेत्रों को अनुदान:** यह चौदहवें वित्त आयोग द्वारा वर्जित क्षेत्रों के लिए सहायता होगी जिनपर संविधान के भाग IX और IXक लागू नहीं होते।

6. **विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुदान):** विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता इसी मांग से दी जाती है। अप्रैल, 2005 से, 12वें वित्त आयोग की सिफारिश पर विदेशी सहायता के उसी रूप में अंतरण की एक नई व्यवस्था आरंभ की गई थी जिसके तहत पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों से भिन्न अन्य राज्यों को उन्हीं शर्तों पर विदेशी सहायता दी जाती है जिन पर यह दाता एजेंसियों से केन्द्र सरकार को प्राप्त होती है। राज्यों को विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अनुदान घटक के लिए धनराशि का प्रावधान राजस्व भाग के तहत किया गया है।

7. **विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (बड़े ऋण):** राज्यों को विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ऋण घटक के लिए धनराशि का प्रावधान पूंजी भाग के तहत किया गया है।

8.01. **राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष को अंतरण:** प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के तहत राहत पर व्यय।

9.01. **राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से राज्यों को सहायता:** जब गंभीर आपदा आती है, राज्य आपदा मोचन कोष से धन की पूर्ति के लिए राज्यों को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के तहत सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से यह सहायता अति गंभीर और प्राकृतिक आपदाओं के समय राज्यों के लिए तत्काल सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।

10. **अर्थोपाय अग्रिम:** अस्थायी अग्रिम का यह प्रावधान अल्पकालिक नकदी के असंतुलन से निपटने में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए है।